

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०१०१०१०)

वाद सं० : 525 सन 2019

अनवान :-

1. सन्दीप कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. प्रदीप कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र मुरलीधर उर्फ मुरलीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सरोज बाला पुत्री रामप्रसाद पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी गात्रश्याम जिला हिसार
3. शकुन्तला पुत्री रामप्रसाद पत्नि महावीर सिंह जाति जाट निवासी गात्रश्याम जिला हिसार
4. पुष्या पुत्री रामप्रसाद पत्नि बलविन्द जाति जाट निवासी केरावाली जिला सिरसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 14/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 132 की कुल 7.9610 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मुरलीराम पुत्र लेखराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मुरलीराम पुत्र लेखराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुरलीराम पुत्र लेखराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने बाहमी बटवारा कर लिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के

सुश्री श्वेता कोचर (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मुरलीराम पुत्र लेखराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का एक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने एक हिररा की भूमि को अपने भाईयो/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल गिराल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 132 की कुल 7.9610 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मुरलीराम पुत्र लेखराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मुरलीराम पुत्र लेखराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुरलीराम पुत्र लेखराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का एक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने एक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने बाहमी बटवारा कर लिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरगाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 132 की कुल 7.9610 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि मुरलीराम पुत्र बेगराज के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मुरलीराम पुत्र बेगराज के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुरलीराम पुत्र बेगराज के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के

22
म. च. प. नं.
मोहर (उभयपक्षों)

पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरारतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में उनके बाहगी बटवारा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकवाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा वादी संख्या 1 सन्दीप कुमार रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 132 के प0न0 362/362(17) के किला न0 21/0.2400 ,22/2 की 0.134 ,प0न0 362/363(22) के किला न0 1/0.2280 ,2/1 की 0.1890 ,9/1 की 0.2150 ,10/0.253 ,कुल 0.8850हैव प0न0 361/363 मु0न0 23 के किला न0 5 की 0.2020 ,6/0.2280 ,कुल 0.4300 प0न0 362/365(46) के किला न0 6/0.253 ,7/0.253 ,कुल 0.506हैव प0न0 363/366 (60) के किला न0 1/0.2270 ,2/0.2280 ,3/0.2270 ,4/0.2280 ,5/0.2270 ,6/0.253 ,7/0.253 ,कुल 1.6430हैव कुल 3.838हैव भूमि रहेगी एवं वादी संख्या 2 प्रदीप कुमार के पास रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 132 के प0न0 357/365(51) के किला न0 4/0.2280 ,5/0.2270, 6,7 व 14 ता 17 प्रत्येक 0.2530, कुल 1.9730हैव प0न0 358/365(50) के किला न0 1/0.2280 ,प0न0 361/364(34) के किला न0 14/0.253, 15/0.2280 ,16/0.2270 ,17 ,23 ,24 प्रत्येक 0.253 ,25 मिन पश्चिम 0.101 कुल 3.769हैव भूमि रहेगी तथा मु0न0 0 किला न0 0/14 की 0.1280हैव गै 0मु0 प0न0 90/42 के किला न0 0/2 की 0.1000हैव गै0मु0 वादीगण 1 व 2 के पारा बहिब रहेगी तथा प0न0 361/364(34) किला न0 25 मिन पूर्व की 0.126हैव भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक /4/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलारा में सुनाया गया।

उपखण्ड अतिरिक्त (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

3.838
3.769
1280
1000
126

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 0-7 जावा दिवाणी)

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सन्दीप कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. प्रदीप कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र मुरलीधर उर्फ मुरलीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सरोज बाला पुत्री रामप्रसाद पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी मात्रश्याम जिला हिसार
3. शकुन्तला पुत्री रामप्रसाद पत्नि महावीर सिंह जाति जाट निवासी मात्रश्याम जिला हिसार
4. पुष्पा पुत्री रामप्रसाद पत्नि बलविन्द जाति जाट निवासी केरावाली जिला सिरसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 525 सन 2019 निर्णय दिनांक- 14/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा वादी संख्या 1 सन्दीप कुमार रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 132 के प0न0 362/362(17) के किला न0 21/0.2400 ,22/2 की 0.134 ,प0न0 362/363(22) के किला न0 1/0.2280 ,2/1 की 0.1890 ,9/1 की 0.2150 ,10/0.253 ,कुल 0.8850हैक् प0न0 361/363 गु0न0 10 23 के किला न0 5 की 0.2020 ,6/0.2280 ,कुल 0.4300 प0न0 362/365(46) के किला न0 6/0.253 ,7/0.253 ,कुल 0.506हैक् प0न0 363/366 (60) के किला न0 1/0.2270 ,2/0.2280 ,3/0.2270 ,4/0.2280 ,5/0.2270 ,6/0.253 ,7/0.253 ,कुल 1.6430हैक् कुल 3.838हैक् भूमि रहेगी एवं वादी संख्या 2 प्रदीप कुमार के पास रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 132 के प0न0 357/365(51) के किला न0 4/0.2280 ,5/0.2270 ,6,7 व 14 ता 17 प्रत्येक 0.2530, कुल 1.9730हैक् प0न0 358/365(50) के किला न0 1/0.2280 ,प0न0 361/364(34) के किला न0 14/0.253, 15/0.2280 ,16/0.2270 ,17 ,23 ,24 प्रत्येक 0.253 ,25 मिन पश्चिम 0.101 कुल 3.769हैक् भूमि रहेगी तथा मु0न0 0 किला न0 0/14 की 0.1280हैक् गै 0मु0 प0न0 90/42 के किला न0 0/2 की 0.1000हैक् गै0मु0 वादीगण 1 व 2 के पास बहिव रहेगी तथा प0न0 361/364(34) किला न0 25 मिन पूर्व की 0.126हैक् भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक/14/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)